लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, खण्ड–3, प्रथम तल, नवा रायपुर, अटल नगर
फोन नम्बर–0771&2331385,Email Id - cg.dpi.dir@gmail.com

आदेश

क्रमांक / एम.आई.एस. / N-123 / 2026 /   नवा रायपुर, दिनांकः **14 / 07 / 2026**

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक / एम.आई.एस. / N-123 / 2026 / 428 दिनांक 12 / 06 / 2026, पत्र क्रमांक / एम.आई.एस. / N-123 / 433 दिनांक 17 / 06 / 2026 एवं पत्र क्रमांक / एम.आई.एस. / N-123 / 445 दिनांक 25 / 06 / 2026 तथा पत्र क्रमांक / एम.आई.एस. / N-123 / 448 दिनांक 07 / 07 / 2026 के द्वारा विभाग के अंतर्गत शालाओं एवं कार्यालयों में कार्यरत समस्त गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की उपस्थिति आनलाईन एप के माध्यम से करने का निर्देश दिया गया है । साथ ही संलग्न समस्त गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की संलग्नीकरण समाप्त कर मूल पदस्थ संस्था / कार्यालय के लिये तत्काल कार्यमुक्त करने, मूल संस्था में आनलाईन एप में पंजीकरण कर आनलाईन एप के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया हैं । किन्तु गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के संलग्नीकरण समाप्त किये जाने के पश्चात् भी मूल पदस्थ संस्था / कार्यालय में उपस्थित होकर आनलाईन एप के माध्यम से उपस्थिति नहीं दे रहें हैं। उनका यह कृत्य छ0ग0सिविल सेवा(आचरण) नियम, 1965 के नियम–3 के विपरीत कदाचार है।

अतएव समस्त गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को संलग्नीकरण संस्था / कार्यालय से तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है। वे अपनी उपस्थिति एक सप्ताह के भीतर मूल पदस्थ संस्था / कार्यालय में देकर आनलाईन एप के माध्यम से उपस्थिति देना सुनिश्चित करें। अन्यथा मूल संस्था / कार्यालय मे उपस्थित नहीं होने, एप के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित नहीं करने की स्थिति में उन कर्मचारियों के माह जुलाई 2026 का वेतन रोका जाता है। साथ ही निर्देश का पालन नहीं करने पर उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

संचालक,
लोक शिक्षण छत्तीसगढ

पृष्ठां.क्रमांक / एम.आई.एस. / N-123 / 2026 /   नवा रायपुर, दिनांकः **14 / 07 / 2026**

प्रतिलिपि –

1. सचिव, छ0ग0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर ।
2. आयुक्त, समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़, रायपुर।
3. उप संचालक, स्थानीय स्थापना–1,2,3,4 ई / टी
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग छत्तीसगढ़।
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।

6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ को आदेश पालनार्थ । एक सप्ताह के भीतर पालन प्रतिवेदन संचालनालय को भेजना सुनिश्चित करें।
7. समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़।

को सूचनार्थ प्रेषित।